श्रीमती प्रेमबाई आदिक विरूद्ध श्रीमती धनतूरी बाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2069–दो/15

जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.7.15	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. श्रीवास्तव एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 29–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । 2– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है और अपील निराकरण हेतु उनके समक्ष लंबित है, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हों तक विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयों का कियान्वयन स्थगित रखा जाये । अपर आयुक्त को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण 3 माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर,

निगरानी 2069-II-15

प्रकरण कमांक /2015 पुनरीक्षण

श्री ... द्वारा आज दि. 7-7-15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी स्व0 श्री मुन्नी जाति चमार (हरिजन)
2. शैतान पुत्र श्री स्व0 श्री मुन्नी (पर्वत), निवासीगण– ग्राम पिपरी तहसील अशोक नगर, जिला अशोक नगर, म0प्र0 ——आवेदकगण

बनाम

श्रीमती धनतूरीबाई पत्नी श्री नत्थू पुत्री स्व0 मुन्नी जाति हरिजन निवासिनी– ग्राम कन्धौरा तहसील शाढ़ौरा जिला अशोक नगर, म0प्र0

——अनावेदिका

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनाक /6/2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक /2015 अपील व उनवान श्रीमती प्रेमबाई आदि बनाम श्रीमती धनतूरीबाई, जिसके द्वारा आवेदकगण का स्थगन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 52 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता निरस्त किया गया।